माननीय न्यायमूर्ति नवाब सिंह के समक्ष

रंजीत कौर और अन्य-अपीलकर्ता

बनाम

पियारा सिंह और अन्य- उत्तरदाता

2012 का एफएओ 1367

जुलाई 29,2013

मोटर यान अधिनियम, 1988 - धारा 166 - मुआवजे में वृद्धि के लिए अपील - कार के चालक के तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटना में एक मजदूर की मृत्यु हो गई - विधवा और नाबालिग बेटों ने दावा आवेदन दायर किया - ट्रिब्यूनल ने भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया और निचले पक्ष पर कंसोर्टियम के नुकसान का आदेश दिया - वृद्धि के लिए अपील - स्व-नियोजित या 40 वर्ष से कम निश्चित मजदूरी वाले व्यक्तियों के मामले में अपील की अनुमति दी गई, मृतक की वास्तविक आय में 50% की वृद्धि होनी चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने राजेश एवं अन्य बनाम राजबीर सिंह एवं अन्य, 2013 एसीजे 1403 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा था कि स्वरोजगार करने वाले अथवा 40 वर्ष से कम आयु के निश्चित वेतन वाले व्यक्तियों के मामले में मृतक की वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। इसी तरह का दृष्टिकोण पूनम आदि बनाम राजबीर रावत, आदि में इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा लिया गया था। 201 3 (1) आरसीआर (सिविल) 988, माननीय श्री जुसलिक एके सीकरी, इस न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित एक निर्णय।

(पैरा 7)

आगे कहा गया, कि उपरोक्त निर्णयों को कम करने और इस न्यायालय की सुविचारित राय में यहां तक कि मृतक एक श्रमिक/एससीएल एफ-सीएम था, जिसकी आयु लगभग 30 वर्ष थी, भविष्य की संभावनाओं के कारण उसकी आय में 50% की वृद्धि होनी चाहिए। अतः उसकी आय रु.6000/- प्रति माह आंकी गई है। अपने व्यक्तिगत और रहने के खर्च के लिए 1/3 आरडी की कटौती करते हुए, निर्भरता का आकलन 6000-1/3rd - 4000x12x17 - 8.16,000/- के रूप में किया जाना है।

(पैरा 8)

आगे यह निर्णय दिया गया कि जहां तक कंसोर्टियम के घाटे के कारण दी गई 20,000/- रुपए की राशि का संबंध है, राजेश और अन्य (सुप्रा) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने इस अर्थ पर टिप्पणी की थी

कंसोर्टियम के एक मामले में पत्नी को उसके पति की मृत्यु के कारण 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया, जिसकी आयु 33 वर्ष थी।

(पैरा 9)

धीरज नरुलजा एडवोक

आर.के. बशंबू, प्रतिवादी नंबर 3 के वकील - बीमा कंपनी।

न्यायमूर्ति नवाब सिंह

(1) यह दावेदारों की अपील मोटर दुर्घटना सीएल एआईएमएस ट्रिब्यूनल, सिरसा (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा पारित 08 सितंबर, 2011 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

(2) 01 अप्रैल, 208 को अंग्रेज सिंह, उम्र 30 वर्ष, एक मजदूर, की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो ओधन गांव के पास ग्रैंड ट्रंक रोड पर पियारा सिंह – प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा कार नंबर पीबी-04 के-0033 की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी।

(3) एफआईआर नंबर 39 दिनांक 01 अप्रैल, 2008 (प्रदर्श पी-1) पुलिस स्टेशन ओधन में दर्ज की गई थी। अंगरेज सिंह के शव का पोस्टमार्टम (रिपोर्ट प्रविष्ट पी-6) किया गया।

(4) अंग्रेज सिंह (मृतक) की विधवा रंजीत कौर (28 वर्ष) और सुखमन सिंह और अमृत पाल पुत्र क्रमश 8 वर्ष और 5 वर्ष के पुत्र अमृत पाल ने अधिकरण के समक्ष यह दलील देते हुए दावा किया कि मृतक भूमि को पट्टे पर लेने के बाद खेती करता था और 7 रुपए कमा रहा था। 000/- प्रति माह।

(5) चूंकि मृतक की आय को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था, इसलिए ट्रिब्यूनल ने उसे मजदूर के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी मासिक आय 4000/- रुपये आंकी। 1/3 को उसके एसईआई फैंड के रहने के खर्च के लिए काट दिया गया था और वार्षिक निर्भरता 32,004/- रुपये आंकी गई थी। मृतक की आयु (30 वर्ष) को ध्यान में रखते हुए, 17 का गुणक लागू किया गया था और कुल निर्भरता 5,44,068/- रुपये आंकी गई थी। इसके अलावा, 10,000 रुपये और 20,000 रुपये 'अंतिम संस्कार खर्च और परिवहन' और 'कंसोर्टियम के नुकसान' के लिए दिए गए थे। कुल मिलाकर, दावा आवेदन दायर करने की तारीख से दावेदारों को इसकी वसूली किए जाने तक 75% प्रति वर्ष की

दर से ब्याज के साथ 5,74,100/- रुपए (पूर्णांकित) का मुआवजा दिया जाएगा।

(6) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने दो तरह के तर्क दिए हैं: (i) ट्रिब्यूनल ने मृतक की आय को कम करने वाली भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया और (ii) 'कंसोर्टियम के नुकसान' के लिए दी गई राशि कम है।

(7) राजेश और अन्य बनाम ***राजबीर सिंह और अन्य (***201 3 एसीजे 1403***)*** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक लुल बेंच ने कहा कि स्वरोजगार या 40 वर्ष से कम आयु के निश्चित मजदूरी वाले व्यक्तियों के मामले में, मृतक की वास्तविक आय में 50% की वृद्धि होनी चाहिए। इसी प्रकार का दृष्टिकोण पूनम आदि के मामले में इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा लिया गया था ***/*** ((2013(1) आरसीआर (सिविल) 988***), माननीय*** श्री जस्टिस ए.के.सिकर्न द्वारा इस न्यायालय के तत्कालीन चिकफ जस्टिस द्वारा लिखित एक निर्णय।

(8) उपरोक्त निर्णयों के बाद और इस न्यायालय की सुविचारित राय में, भले ही मृतक एक श्रमिक/एसईएल एफ-सीपीएलओवाईसीडी हो, जिसकी आयु लगभग 30 वर्ष हो, भविष्य की संभावनाओं के कारण उसकी आय में 50% की वृद्धि होनी चाहिए। अतः उसकी आय रु.6000/- प्रति माह आंकी गई है। अपने व्यक्तिगत और रहने के खर्च के लिए 1/3 की कटौती करते हुए, निर्भरता का आकलन 6000-1/3rd = 4000x12x17 - 8,16,000/- के रूप में किया जाना चाहिए।

(9) जहां तक कंसोर्टियम के नुकसान के कारण दी गई 20,000 रुपये की राशि की बात है, **राजेश और अन्य (सुप्रा)** में 1 लोन कोर्ट की पूर्ण पीठ ने कंसोर्टियम के अर्थ पर टिप्पणी की और पत्नी को उसके पति की मृत्यु के कारण 1 लाख रुपये का आदेश दिया, जो 33 वर्ष का था। तैयार संदर्भ के लिए, निर्णय के पैराग्राफ संख्या 20 को यूएनसीआर के रूप में पुन: प्रस्तुत किया जाता है: -

> "कानूनी मुद्दे पर इस न्यायालय के फैसले का अनुपात एक prcdcccnt है। लेकिन इस न्यायालय द्वारा की गई एक टिप्पणी, मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक मुद्दे पर एकमौजी और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, जैसा कि एक कानूनी सिद्धांत के विपरीत है, हालांकि एक मिसाल है, समय-समय पर फिर से विचार किया जा सकता है, और वास्तव में होना चाहिए, जैसा कि संतोष देवी, 2012 एसीजे 1428 (एससी) में देखा गया है। इसलिए, हम पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजा देने की प्रथा पर फिर से विचार कर सकते हैं:
>
> (1) पति या पत्नी को कंसोर्टियम का नुकसान;
>
> (2) बच्चों को प्यार, देखभाल और मार्गदर्शन की हानि; और
>
> (3) अंतिम संस्कार का खर्च।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उन शीर्षों के तहत 2500/- रुपये से 10000/- रुपये की राशि कई दशक पहले तय की गई थी और मुद्रास्फीति कारक को ध्यान में रखते हुए, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। एस आरिया वर्मा के मामले, 2009एसीजे 1298 (एससी) में, यह माना गया था कि कंसोर्टियम के नुकसान के लिए मुआवजा 5000 रुपये से 10000/- रुपये की सीमा में होना चाहिए। कानूनी भाषा में कहें तो जीवनसाथी का कंपनी, देखभाल, मदद, आराम, मार्गदर्शन, समाज, सांत्वना, स्नेह और अपने साथी के साथ यौन संबंध बनाने का अधिकार है। नुकसान के उस गैर-पीसीसी शीर्ष को हमारी अदालतों द्वारा ठीक से समझा नहीं गया है। साहचर्य, प्रेम, देखभाल और सुरक्षा आदि के नुकसान, जिसे पति या पत्नी पाने का हकदार है, उसकी उचित भरपाई की जानी चाहिए। संघ के नुकसान के लिए गैर-आर्थिक क्षति की अवधारणा दुनिया के अन्य हिस्सों में मुआवजे के पुरस्कार के प्रमुख प्रमुखों में से एक है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में। अंग्रेजी अदालतों ने अस्थायी विकलांगता की अवधि के दौरान भी मुआवजा पाने के लिए पति या पत्नी के अधिकार को मान्यता दी है। कंसोर्टियम के नुकसान से, अदालतों ने भविष्य के वर्षों के दौरान पति या पत्नी के स्नेह, आराम, सांत्वना, साहचर्य, समाज, सहायता, सुरक्षा, देखभाल और यौन संबंधों के नुकसान की भरपाई करने का प्रयास किया है।

अन्य देशों और अन्य क्षेत्राधिकारों में दिए गए मुआवजे के विपरीत, चूंकि कानूनी उत्तराधिकारियों को अन्यथा आर्थिक नुकसान के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाता है, इसलिए इस शीर्ष के तहत एक बड़ी राशि देना उचित नहीं होगा। इसलिए, हमारा विचार है कि यह केवल उचित और उचित होगा कि अदालत कंसोर्टियम के नुकसान के लिए कम से कम 1,00,000 रुपये का आदेश दे।

(10) चूंकि मृतक की आयु 30 वर्ष थी और उपर्युक्त संदभत कंसोर्टियम की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए, कंसोर्टियम के नुकसान की राशि बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये कर दी गई है।

(11) तदनुसार, अधिकरण के पंचाट को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अपीलकर्ता 9,26,000 रुपए (816000+10000+10000+10000) के कुल मुआवजे के हकदार माने जाते हैं, जो अधिकरण द्वारा दी गई राशि से 3,51,900/- रुपए अधिक है। 3,51,900/- रुपये की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज का भुगतान दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से किया जाएगा, जब तक कि बीमा कंपनी द्वारा आक्षेपित पंचाट के तहत राशि ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई ब्याज की समान दर पर जमा नहीं की जाती है।

*****

<u>अस्वीकरण</u>: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है, ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मीनू वर्मा,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा